[Shri Harekrushna Mallick]

situation in Madhya Pradesh, in the Rewa area, where hundreds and thousands of people have been taken ill because of the kesri dal given by the land-owners and there is nobody to take care of them. These people are being harassed. This matter should be discussed in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): For this, you have to give notice of a Calling Attention Motion or some such thing. It does not come under this.

For the information of the hon. Members, the Government has announced its own Business. I am advised by the Secretary-General that the Business Advisory Committee will be meeting on 22nd, when they will be allotting the time and they will decide what are the subjects to be discussed and any other Business which can be accommodated. This is one. Secondly, at that time, as has been pointed out by Mr. Mathur, the eventuality of the Kerala and the Assam Assemblies being dissolved was not mentioned, because, at that point of time, the Government was also not aware of it.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: They have now become aware of this position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Dhabe, as I said, the Business Advisory Committee is meeting on Monday, the 22nd. How can it be done now? I would only seek your co-operation. On Monday, the Business Advisory Committee will be meeting and in that meeting, the Members will be taken into consultation as regards extension of time, if required by the Government; I do not know. Now, we take up the next item.

The press (planning and Freedom Bill, 1978

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We take up the first item on the Agenda. The Constitution (Amendment) Bill, 1977. Shri F. M. Khan. He is not here. We take up the second item. The Constitution (Amendment) Bill, 1978 (Insertion of new article 371G). Shri Shiva Chandra Jha.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): I am moving the fourth one.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I am now on the second item of the Agenda. Are you moving the Bill listed against your name in the second item of the Agenda?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, we take up the third item. The Constitution (Amendment) Bill, 1978 (Insertion of new article 16A). Are you moving?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: No. Not moving at present.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): No question of at present. It will lapse.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं :

'प्रेस के आयोजन तथा स्वतंत्रता का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा विधेयक 'प्रेस प्लानिंग और फ्रीडम' इसलिये है कि देश में जनतंत्र मजबूत हो और हकीकत में प्रेस की स्वतंत्रता कायम हो। अभी-अभी भारत की प्रेस हकीकत में आजाद और स्वतंत्र प्रेस नहीं है। सरकारों की रोक है,

सरकार का कन्ट्रोल है और साथ ही साथ प्रेस मालिक का दबाव है। इन दो कब्जों से, इन दबाव से भारत की प्रेस आजाद प्रेस नहीं है, स्वतंत्र प्रेस नहीं है। हम देश में जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और हकीकत में प्रेस स्वतंत्रता को कायम करना चाहते हैं। इसी लिये मेरा विधेयक है कि प्रेस फ्लाड हो। यह कैसे हो, इस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी जो प्रेस का रूप है उस पर आता हूं। प्रेस मंत्री तो हैं नहीं। . . .

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : इस तरह से आप प्रेस से वाकिफ नहीं है उसी तरह से आप प्रेस मंत्री से भी वाकिफ नहीं है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : प्रेस मंत्री का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था।

श्री शिव चन्द्र झा : नये बहाल हुए हैं। प्रेस मंत्री जी चुप होकर सुन लीजिए। उनके बड़े मंत्री नहीं है। प्रेस के रूप में इनके बड़े मंत्री साठे साहब जानते हैं। श्री साठे साहब ने खुद कहा है कि भारत की प्रेस जो है वह मिलिनेयर्स के कब्जे में है। यह एक इस्ट्रूमेंट है, हथियार है बाहरी फारेन वेस्टेड इंटरेस्ट के। यह खुद उन्होंने कहा है। इसको लेकर एक रिपोर्टर कारेसपोडेंट श्री एम० बी० कामथ ने शायद 'इंडियन एक्सप्रेस' वाशिंगटन बेस्ट में जवाब भी मंत्री महोदय को ठीक से दिया कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री को प्रेस की आजादी का कुछ ज्ञान नहीं है। कुर्सी हड़प लेना अलग बात है, मंत्री बन जाना अलग बात है लेकिन प्रेस की आजादी के बारे में समझना दूसरी बात है। इनका जवाब 'इंडियन एक्सप्रेस' के 24 जनवरी में छपा था। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि खुद मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत की प्रेस मिलिनेयर्स के कब्जे में है। हां, मंत्री जी आ गये हैं . . . (व्यवधान)

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : आपकी आवाज तो वहां भी आ रही थी।

श्री शिव चन्द्र झा : इन्होंने यह कहा था कि यह एक इस्ट्रूमेंट है फारेन वेस्टे इंटरेस्ट का जिसका जवाब श्री एम० बी० कामथ ने वाशिंगटन बेस्ट इंडियन एक्सप्रेस में छाप कर मुंह तोड़ उत्तर दिया था। प्रेस स्वातंत्र्य से इन्हें कोई वाकफियत नहीं है, कोई पता नहीं है, भले ही ये मंत्री हो गये हों। कुछ मायनों में यह हो सकता है कि भारत का जो प्रेस है वह मिल ओनर्स के मातहत है, मिल मालिकों के कब्जे में है और वह आजाद नहीं है। बहुत हद तक सही मायनों में यह सही हो सकता है। बहुत मायनों में बाहरी इंटरेस्ट का प्रेस हथकंडा या इस्ट्रूमेन्ट हो सकता है। लेकिन प्रेस स्वातंत्र्य का जो नक्शा है, वह दूसरा भी हो सकता है . . (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि मालिकों के कब्जे में प्रेस स्वातंत्र्य है, यह भी गलत है। यह सही है कि भारत का प्रेस सरकारी कब्जे में उस रूप में नहीं है जिस रूप में इमरजेन्सी के वक्त था। इमरजेन्सी के वक्त में भारत के प्रेस का रूप क्या था, यह सभी जानते हैं। उस वक्त प्रेस स्वातंत्र्य का खात्मा हो चुका था, प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी थी। मि० गोबेल्स जो हैं, वे यहां पर घूमा करते थे। और इमरजेन्सी के वक्त में प्रेस को सब कार्यवाहियां किया करते थे। उस रूप में भारत का प्रेस इस वक्त सरकार के कंट्रोल में नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन इंडायरेक्टली उस पर कब्जा है, यह निर्विवाद है। मैं उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार सेपोस्टल रेट बढ़ाये गये है, डाक के रेट बढ़ाये गये हैं, वह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला

[श्री शिवचन्द्र झा]

किया गया है, कुठाराघात किया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के प्रेस ने या किसी भी अखबार ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। यह प्रेस की आजादी पर हमला करने वाला मंत्री है जिसने डाक दरें बढ़ाई हैं। उसको अविलम्ब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से पोस्टल रेटस बढ़ाये गये है यह प्रेस की स्वतंत्रता पर ईवेजन है। यह प्रेस की आजादी पर आघात का एक उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण हैं उनको मैं बाद में तफसील में बताऊंगा। प्रेस पर सरकारी कंट्रोल से प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता है। इसलिए यह कहना कि प्रेस पर सिर्फ मालिकों का ही कब्जा है, सही नहीं है। मेरे एक सवाल के जवाब में 12 दिसम्बर, 1981 को मंत्री जी ने कहा कि —

In a written reply to Shri Shiva Chandra Jha, the Minister gave the following information:

रजिस्ट्रार जनरल आफ न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 इंडियन न्यूजपेपर्स जिनका सरकूलेशन एक लाख से ऊपर है, उनमें 25 ऐसे घरानों के हाथ में हैं जो एक नहीं, दो नहीं, कई अखबार चलाते हैं। इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। प्रेस की आजादी जो कही जाती है, वह सही मायनों में इंग्लैण्ड में भी नहीं है और अमेरिका में भी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इंग्लैण्ड का प्रेस आजाद है, मैं यह भी नहीं कहता अमेरिका का प्रेस आजाद है। इंग्लैण्ड की प्रेस इस तरह से गुलाम है, परतंत्र है, जिस तरह से भारत का प्रेस है। अमेरिका का भी प्रेस इस तरह से गुलाम और परतंत्र है। यानी वहां भी प्रेस की फ्रीडम नहीं है जिस तरह से भारत में है। तीनों की बीमारियां यहीं है। प्राईवेट ओनरशिप जो है, मिल्कियत जो है वह उसे एक उद्योग के रूप में चलाती है। इससे भी केन्द्रीयकरण होता है और इसलिये जो और उद्योगों में बीमारी है वह यहां भी है। यह बात अमेरिका में भी है। 1945 में जब कलमेंट एटली के हाथ में इंग्लैण्ड की बागडोर आई तो उसने रायल कमीशन आन प्रेस बिठाया, प्रेस के कन्सन्ट्रेशन की जांच के लिये। अन्यूरिन बेवान ने उसमें कहा है कि :

"The British press is the most prostituted press in the world, mostly owned by a gang of millionaires, pumping a deadly poison into the public mind day after day and week after week."

इस रपट में भी यही निकला। अमेरिका में भी हच्चिन्स कमीशन बनाया गया। उसने भी खोज करके स्वीकार किया कि अमेरिकी प्रेस आजाद नहीं है। उसकी रिपोर्ट है फ्री एंड रेस्पांसबिल नहीं है। इस पर मैं बाद में आऊंगा तफसीलवार आऊंगा। प्रेस पूरी तरह आजाद नहीं है और वे सरकारी कन्ट्रोल तथा अन्य कारणों से स्वतंत्र नहीं है। जो कन्सेप्ट आफ फ्रीडम है, फ्रीडम फार्म एंड फ्रीडम फार, प्रेस के लिये यह बहुत ज्यादा जरूरत है —

Freedom from restraint—any control even of the Government or of the ownership.

ताकि हमारी आम जनता तक सही चीजें पहुंच सकें। ये सारी बातें अब प्रेस की आजादी की परिभाषा में आ रही है कि खबर सही मिले, सूचना सही मिले और सरकारी दस्तावेज और सरकारी रिकार्ड से सूचना प्राप्त करना प्रेस वालों का अधिकार है। यहां भी प्रेस वालों के लिये, प्रेस के जर्नालिस्टों के लिये मंत्री महोदय आप राइट टु इन्फार्मेशन ऐक्ट बनायें ताकि प्रेस वाले वहां जा सकें और प्रेस

की आजादी का जो अधिकार है उसके अनुसार हमें सरकारी सीक्रेट डाक्युमेन्टस देखने को मिलसकें। तो बात यहां पर आ गई है उपसभाध्यक्ष महोदय। मैंने कहा कि हिन्दुस्तान ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका की प्रेस भी आजाद नहीं है और इसकी आजादी की हकीकत में जरूरत है। इन दो पंजों से, इन दो कब्जों से, एक सरकारी कब्जा और दूसरा मालिकों का कब्जा, इससे प्रेस को आजाद करो, यह इसके लिये जरूरी है।

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): May I request you, Jhaji, to speak at a little lower pitch so that it will also give you more time to speak?

श्री शिव चन्द्र झा : जैसी आपकी आज्ञा।

तो इसलिये प्रेस को आजाद करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रेस प्लान्ड हो, योजनाबद्ध हो। उपसभाध्यक्ष जी, जब मैं कहता हूं कि प्रेस प्लान्ड हो तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे होगा। प्लान्ड से मोटेतौर पर हमारा कहने का मतलब है कि सरकार टैक-ओवर करे। अपने बिल में इसमें डिफेरेन्स करूंगा लेकिन मौटेतौर पर नेशनलाइज्ड जिसको कहते हैं वह आप करें। आप घबड़ायेंगे कि प्रेस का नेशनलाइजेशन, यह बात तो आज तक कभी हुई नहीं, यह कैसा प्रेस स्वातंत्रय ? मेरा कहना है कि जब भी कोई नई बात आ जाती है तो ऐसा ही होता हैं। उस जमाने में जब कोई नई बात ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That demand is going on for the last twenty years. You don't worry about it.

3 P.M.

श्री शिव चन्द्र झा : एक जमाना था कि अगर किसी ने कह दिया कि पृथ्वी घूमती है...और दुनिया गोल है तो इतिहास बताता है कि ब्रुनों को दफनाया गया और गेलिलियों पर दबाव दिया, जोर दिया और उसको कहा कि वह कहे कि पृथ्वी नहीं घुमती है। उसको अपनी जान बचाने के लिए यह कहना ही पड़ा कि पृथ्वी नहीं घूमती है। लेकिन जब वह बाहर आया तो बाद में फिर भी उसने यह कहा कि पृथ्वी घूमती है। इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ–1 ने भी कभी कबूल ही नहीं किया कि दुनिया गोल है। लेकिन उस जमाने से ले कर आज भी जमाने में 1982 तक इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी घूमती है, यह निर्विवाद है। कहीं पर कोई नई बात होती है तो यह आश्चर्य होता है कि यह कैसे होगी ? वही बात इसमें लागू होती है जब मैं आप को प्रेस का मालिक कहता हूं, यह कहता हूं कि प्रेस को सरकार कंट्रोल करे तो आपको आश्चर्य होगा। यह एक नया तरीका है फ्रीडम आफ प्रेस के बारे में यह कैसे होगा ? इस को साफ करने के लिये कि सरकारी प्रेस प्लाड हो, कंट्रोल्ड हो लेकिन मैंने कहा कि जनतंत्र मजबूत करने के लिए है। जनतंत्र कैसे मजबूत होगा ? जनतंत्र मजबूत होगा, हमको पूरी आजादी सरकार की नुक्ताचीनी करने के लिए हो। हमारी जबान बन्द न की जाए। हम जो बोलना चाहते हैं बोलें और जनतंत्र का तकाज़ा है कि यह बैठ कर शान्ति-पूर्वक हमारी आलोचना को सुनते रहें। इतनी भी सुनते हैं इसलिए कि जनतंत्र को यह पसंद करते हैं और हम चाहते हैं। इसलिए जनतंत्र में आलोचना की गुंजाइश है। यदि इस सारी प्रेस को सरकार कंट्रोल कर ले तो शक हो जाता है कि सरकारी प्रेस हो जाए तो सम्भावना रहती है उसी तरह का दृष्टिकोण हो जाता है कि फिर सरकार की आलोचना कैसे होगी ? इसके लिए मेरे विधेयक में प्रावधान है

[श्री शिव चन्द्र झा]

कि पार्टी प्रेस हो । ऐसी जितनी भी रिकोग्नाइज्ड पार्टियां हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है उनके प्रेस की क्या हालत है कौन पढ़ता है हमारी जनता का जो वीकली है जो बम्बई से निकलता है उसको कोई छूता तक नहीं है ? हम लोग दो-चार आदमी हैं जो उसको मंगाते हैं और पढ़ते है। कौन सुनता है न्यू ऐज को जो कि सी०पी०आई० का अखबार है। कोई ताकता तक नहीं है। एक जमाना था अब तो उसे कोई देखता भी नहीं है। कौन छूता है लोक-बिहार को जो कि सी०पी०आई० (एम) का अखबार है ? वह हमारे यहां लाईब्रेरी में पड़ा रहता है। दूसरे अखबारों के पीछे तो भागते रहते हैं लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ता । दिल्ली से नेशनल हैराल्ड निकलता है (व्यवधान) एक जमाना था जब वह आदर्श प्रेस था। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने आजादी के आन्दोलन को मजबूत करने के लिए कहा था । उस समय के सम्पादक की राष्ट्रीय कुर्बानी और त्याग के लिए मैं उनको सलामी देता हूं । चलापति राव जिसने अपने खून और पसीने से नेशनल हैराल्ड को बनाया । लखनऊ में रह कर दिल्ली में रह कर, चलापति राव मद्रास से आया लेकिन आजकल के जो संचालक संचालिका नेशनल हैराल्ड के है उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकाल दिया, उठा कर फेंक दिया । उसी चलापति राव ने पद्मभूषण को त्याग दिया । उन्होंने 1942 के आन्दोलन में जब नेशनल हैराल्ड को ताला लगाया गया था किसी की हिम्मत नहीं होती थी राष्ट्रीय आन्दोलन की मदद करना लेकिन नेशनल हैराल्ड में हमेशा रहता था। उनके एडिटर चलापति राव ने मुझे कहा कि जय-प्रकाश नरायण का लेख उन दिनों में कोई नहीं छापता था लेकिन हम और एक अखबार उस समय और था जो जयप्रकाश नारायण का लेख छापते थे । अंग्रेजो साम्राज्यवाद के खिलाफ लोहा लेते थे और जब ताला खोला गया तो गुड मार्निंग मिस्टर हैलेट दूसरे दिन एडीटोरियल निकला । मैं कह रहा था कि 'लोक बिहार' ये सब कौन देखता है । क्यों नहीं देखता है पार्टी प्रेस के, क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोकन उसके पास पैसे नहीं हैं । वे कम्पीट नहीं कर सकते किसी बड़े अखबार से । स्टेटसमैन, पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद की आवाज का, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का सांग, गाना गाता था और आज वह अमेरिकी साम्राज्यवाद का गाना गाता है । जिसके अन्दर 'आह' निकलती है, आह जिसको कहते हैं । गोल्डन एज था अंग्रेजी जमाने का और उस समय दुनिया के साम्राज्यवाद का यह स्पोक्समैन था, इसका मुकाबला वह कैसे करेंगे, बड़े बड़े अखबारों का । तो पार्टी प्रेस जो रइसको फाइनेंशियली मजबूत करें, इनको पैसे सेंट्रल बजट से एक लम्प सम मनी' । यर मेरे बिल में है, में बताऊंगा पढ़कर वर्ष में पांच लाख, हालांकि पांच लाख से कुछ नहीं होगा, 10 लाख, 15 लाख लेकिन वह से कैंडरी बात है, प्रेस चलाने के लिये डेली, वीकली के लिये सरकार सेंट्रल बजट से पैसा दे । रिकगनाईज्ड जितनी पार्टियां है 10 लाख या एक करोड़ एक को दे, इतनी पार्टियां है जैसे सात है तो 70 लाख या सात करोड़ दे अखबार चलाने के लिये । ये अखबार रहेंगे सरकार की नुक्ताचीनी के लिये, जब इनकी डेली जदि निकलेंगी दैनिक निकलेंगे लेकिन आज जनतंत्र में इसकी जरुरत है। आप कहेंगे यह कैसे होगा कि सरकार पैसा देगी और सरकार की आलोचना भी । लेकिन सरकार इधर भी वही पैसा देती है जितना उधर के एम० पी० को देती है । जितना डी०ए० उनको मिलता है उतना ही हमें भी मिलता है . . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनको ज्यादा मिलता है ।

श्री शिव चन्द्र झा : जिस तरह के फ्लैट में वे रहते हैं उसी तरह के फ्लैट में हम रहते है और सुबह से शाम तक इनकी मुखालिफत, करते हैं, इनका इस्तीफा मांगते रहते हैं। लेकिन ये फिर भी बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इसलिये कि जनतंत्र चाहते हैं। तो सबको सरकारी पैसा मिलता है, इधर विरोधी हो तो भी मिलता है और सरकारी पैसा उधर भी मिलता है। इसलिये कि हम देश के जनतंत्र को मजबूत रखें वही बात प्रेस में होगी . . (व्यवधान) वही बात होगी प्रेस में, जनतंत्र मजबूत करने के लिये ये पैसे देंगे डेली अखबार को और ये सरकार की नुक्ताचीनी करेंगे, जैसा मैंने बताया पार्टी प्रेस होने के नाते जो उनके आदर्श हैं, वह मार्क्सवाद का हो, लेनिनवाद का हो, या जिस तरह के विचार होंगे, वैसे छापेंगे, वे डेमोक्रेटिक हों, सोशलिस्ट हों जो छापेंगे उसमें कोई रोक नहीं होगी। ये प्लांड प्रेस होंगी और ये आम जनता के लिये खोल दी जायेंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 'योजना' एक पत्रिका है प्लांनिग कमीशन से, क्या वह खराब पत्रिका है। मैं लेता हूं, पढ़ता हूं और लिखता भी हूं. . . (व्यवधान)

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : मुफ्त में आती है।

श्री शिव चन्द्र झा : तब नहीं रहती थी जब खरीदता था। क्या वह पत्रिका खराब है? नहीं, वह एक गंभीर पत्रिका है। योजना आयोग को यह ताकत है, यह क्षमता है कि 'योजना' निकाल सके। लेकिन क्या उसमें यह क्षमता नहीं है कि 10 डेलीज को निकाल सके ,10 दैनिक पत्र निकाल सके। जरूर उसमें क्षमता है। जिस गंभीरता के साथ योजना पत्रिका निकलती है, जिस सीरियसनेस के साथ, न्यूट्रलिटी सो काल्ड न्यूट्रलिटी जिसको कहते है उसके साथ वे डेलीज भी निकलेंगी। साप्तहिक भी निकलेंगे। तो योजना आयोग के मातहत यदि इसका जो प्रेस विंग है, इस प्रेस विंग को हम बढ़ा देते है तो यह कोई असंभव बात नहीं हैं। इसलिये मैंने कहा कि अपने देश में जनतंत्र को मजबूत करने के लिये और आप के प्रेस स्वातंत्र्य को सही मायने में स्थापित करने के लिये प्रेस प्लांड होनी चाहिये। मेरा कहना है कि एक प्लांड प्रेस कहलायेगा और दूसरा होगा पार्टी प्रेस, जो रिक्गनाईज्ड पार्टियों का होगा सरटेन सरकुलेशन का। वह मैं बिल में पढ़कर बता देता हू। इसको सरकार देखे यह कमी आज तक थी जो पार्टी प्रेस नहीं था। लंका में आप जानते होंगे कि श्रीमती भण्डारनायके के मातहत प्रेस कन्ट्रोल कर लिया गया था, नेशनलाईज कर लिया गया था। नतीजा हुआ कि धराशायी हो गयी। प्रैस ने मुखालफत की, जनता ने बगावत की, तो बात सोचने की है। मैं यह नहीं कहता कि सबको, बल्कि एक क्रिटिसिज्म की गुंजाइश रखें, आलोचना की गुंजाइश रखें और उसके लिये पार्टी प्रेस को ऊपर उठाइये। यह प्राफिट मेकिंग प्रेस जो है, यह जितने मानापोलिस्ट उद्योगपतियों के मुनाफाखोरी के प्रेस हैं, उनको अपने कब्जे में लाओ।

बिल में मेरा प्रावधान है कि दस हजार से ऊपर के सर्कुलेशन को कंट्रोल कर लो। थोड़ी देर के लिये बहस हो सकती है कि दस हजार तो बहुत थोड़ा है। तो हटाइये, एक लाख के ऊपर के जितने प्रेस हैं और यह चौबीस-पच्चीस मालिक जो हैं, बड़े घराने जो हैं, उनको आप कंट्रोल कर लें। इसमें क्या लगता है? दस-बीस पचास हजार वाले बच जायेंगे और एक लाख—अपटू 25 कामन ओनरशिप है, यह आप के ही सरकारी आंकड़े हैं, जो 81.13 लाख कापियां छापते है और 83 प्रतिशत टोटल सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। यह हमारे आंकड़े नहीं हैं। उसमें तो समय भी लगता है, आप का बना-बनाया है आंकड़ा। यह 25 कामन यूनिट्स हैं—

"...more than one lakh copies during the year 1978. As against 23 in the previous year, as many as 144 Indian newspapers including

[श्री शिव चन्द्र झा]

124 dailies were published by these big units. In circulation the share of newspapers owned by the big units was 81.13 lakh copies..."

तो यह जो सारे 25 मानापोलिस्ट ओनरशिप है, इसको कंट्रोल कर लें। दस पन्द्रह, बीस, पच्चीस वाले जो छूट जायेंगे। इसको आप कर लें तो यह जो घबराहट होती है कि प्रेस कण्ट्रोल हो जाये—भाई जो आदर्श नहीं रखता है, जो समाज को नया नहीं बनाना चाहता है, वह घबरायेगा। लेकिन जो बराबरी का समाज चाहता है और जो चाहता है कि प्रेस वास्तव में, हकीकत में एक नये समाज की रचना हो, वह नहीं घबरायेगा।

श्रीमन्, एक जमाना था, भारत के इतिहास में जब मुकम्मिल आजादी की नई बात होती थी, मुकम्मिल आजादी से लोग घबराते थे, डोमीनियन स्टेट्स के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते थे। लेकिन हमारे आंदोलन में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने झण्डा लहराया कि मुकम्मिल अंग्रेज को निकाल कर रहेंगे सरजमीन से। एक जमाना था हिन्दुस्तान में ...(**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): उस वक्त कल्पनाथ राय कहां थे?

श्री शिव चन्द्र झा: उनका जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा भी नहीं हुआ था। एक जमाना था जब समाजवाद सोशलिज्म कहने से लोग घबराते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, लेकिन पंडित जवाहर लाल — औरों को तो छोड़ दें जो यंगर जनरेशन के थे, पं0 जवाहरलाल सोशलिज्म का प्रचार करते थे, भाषण देते थे नौजवानों के बीच में, लेकिन उन्हीं के खेमे में ऐसे भी लोग थे—यह क्या शेखचिल्ली की तरह बात करते हैं, देश तो आजाद ही नहीं हुआ—और सोशलिज्म की बोल रहे हैं। ऐसा भी राष्ट्रीय आंदोलन, आप जानते ही हैं कि ... ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: सोशलिस्ट तो कल्पनाथ राय ...(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय): वह कहते हैं कि सोशलिज्म क्या है? राजा राम मोहन राय जब इंगलैंड गये, तो राबर्ट ओवन से उनकी बात हुई थी, जो यूटोपियन सोशलिस्ट थे। लेट 1820 में राबर्ट ओवन काल्पनिक सोशलिस्ट थे, आप जानते ही हैं... (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह: किसी जमाने में साठे साहब भी सोशलिस्ट रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा: राबर्ट ओवन ने कहा सोशलिज्म और राजा राम मोहन राय चकरा गये। यह उन्नीसवीं सदी की शुरू की बात है। राजा राम मोहन राय चकरा गये कि सोशलिज्म किसको कहते हैं। उन्नीसवी सदी के आखिर में स्वामी विवेकानन्द जिसने शिकागो में डंका बजाया था भारत की संस्कृति का, भारत के गौरव का, वह आखिर तक चलते-चलते समाजवाद पर जोर देकर चला गया कि बगैर समाजवाद के हमारा उत्थान नहीं होगा, कल्याण नही होगा। तो फर्क आ गया उन्नीसवीं सदी के शुरू में एक दृष्टिकोण था, उन्नीसवीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान में ही लोग इसको एक्सैप्ट करने लगे कि समाजवाद भी कोई चीज है अभी हमारे समाज में है। जो लोग नहीं मानते है उनको मैं कहता हूं। जब मैं कहता हूं प्रेस की प्लानिंग के बारे में, मंत्री महोदय जरा इस पर ठीक से गौर करें। मैं जानता हूं आप की पल्टन अभी नहीं है यहां पर लेकिन जब वोट की जरूरत होगी सब आ जायेंगे सेन्ट्रल हाल से—इस बिल को हराओं, गिराओं। यह बात हो सकती है। हमारे विचार को एक दिन आप को सुनना होगा और आप को मानना होगा। आप नहीं मानेंगे, दूसरा मंत्री आयेगा, तीसरा मंत्री आएगा, चौथा आयेगा; उसको मानना पड़ेगा।

इस दृष्टि से उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विधेयक है प्रेस प्लानिंग एण्ड फ्रीडम बिल, उसको मैं चाहता हूं यह सरकार कबूल कर ले। इस बिल का जो मकसद है मैंने तो समझा दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा मकसद जो इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में है मैं पढ़ कर आप को सुना देता हूं :

"The freedom of the Press is the bulwark of liberty. With the growth of industrialisation, the Press has become more an enterprise and a business than an ideal free Press. The freedom of the Press is suppressed by the owners of the Press of larger circulation who, in the very nature of capitalism in the advanced stage, are in league with other monopolists of the economy in one form or the other. The Press Enquiry Commission Report and the Tenth Annual Report of the Registrar of Newspapers for India (April, 1966) have also corroborated that the concentration process is going on in the Indian Press. During the emergency the Press was gagged. Under the Janata Government, the Press Council has been reconstituted."

This was further reconstituted by you sometime ago.

"And another Press Enquiry Commission has been appointed to go into the working of the Indian Press. But socialism, which has been accepted by the people and our Parliament as the realizable goal of social betterment, demands freedom of the Press in that noble sense of the term.

For the realization of the freedom of the Press in that ideal sense of the term, it is felt that there is an unavoidable need for providing for a planned Press and a Party Press by suitable legislation."

इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये कि प्लान्ड प्रैस कैसे होगा, पार्टी प्रेस कैसा होगा, जो बिल में व्यवस्था है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

There shall be the following two kinds of the Press in the country:—

(a) Planned Press; and

(b) Party Press.

There shall be established under the Act a Press Board to manage and run the Press which shall function under the control of the Planning Commission.

The Press Board shall consist of as many members as there are States and Union Territories in the country, one member representing each State or Union Territory to be nominated by the Government of the respective State or Union Territory from amongst reputed economists and journalists.

The Chairman of the Press Board shall also be a reputed economist and journalist to be nominated by the Central Government and shall be called the Director-General of the Press.

The Press Board shall take over without any compensation Private Press in India which has a circulation of 10,000 copies or above.

तो यह टेन थाउजैंड एण्ड अबव है। जो प्रेस बोर्ड बनेगा उपसभाध्यक्ष जी, उसमें हर राज्य का, यूनिन टैरिटरी का प्रतिनिधि होगा। वह बहाल किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंन्ट और यूनियन सरकार द्वारा। उस के ऊपर एक डाइरेक्टर जनरल होगा जिसका बहाल करेगी केन्द्र सरकार और वे सारे विशेषज्ञ होंगे इकानिमिक्स के और जर्नलिज्म के। यह एक प्रेस बोर्ड बनेगा और ये जितने प्रैस लाए जायेंगे ये सब उन के द्वारा चलाए जायेंगे। मैंने 10,000 का सर्कुलेशन कहा है, थोड़ी देर के लिए मैं मानने को तैयार हूं कि बहुत कम

[श्री शिव चन्द्र झा]

है, यदि एक लाख से ऊपर का सर्कुलेशन हो तो भी इस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी । यदि बुनियाद को, फण्डामेंटल्स को आप मान लेते हैं तो एक लाख से ऊपर के सर्कुलेशन वाले प्रेस को भी आप ले लें:

"Provided that nothing contained in this provision shall apply to the party Press even if it reaches a circulation of 10,000 copies and above".

पार्टी प्रेस का सर्कुलेशन अगर 1 लाख से ऊपर जाता है तो उसको छुओ नहीं। लेकिन प्राइवेट प्रेस का 1 लाख से ऊपर जाता है तो सबको सरकार ले ले। यह प्रेस बोर्ड के मातहत चलेगा। कैसे चलेगा, वह मैंने बताया । योजना आपकी छड सकती है फोर्टनाइटली, लेकिन प्लानिंग कमीशन द्वारा डेलीज, मंजलीज या वीक्लीज नहीं चल सकती है। उसको चलाने वाले कौन होंगे । वही जिस तरह से थोड़ी देर के लिए आपके सिविल सर्वेन्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। इसके लिए आपको इंडियन जर्नलिस्टिक सर्विस चलानी होगी । आपके डी० एम०, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं । उसी तरह से ये लोग भी चलायेंगे । जनता सरकार थी तो क्या वे आफिसर प्रशासन में उनको सहायता नहीं देते थे ? आप आये तो आपको बात चल रही है। थोड़ी देर के लिए यह बात हो सकती है कि पक्षपात हो, लेकिन न्यूट्रली और निष्पक्ष रूप से प्रशासन को चलाने की जो परंपरा है, वही परंपरा जब इंडियन जर्नलिस्टिक सर्विस आप बनायेंगे तो इन अखबारों को चलाने वाले न्यूज एडिटर्स रिक्रूट होंगे तो वह भी निष्पक्ष रूप से चलायेंगे । थोड़ी बहुत जो कमी होगी वह सुधर जाएगी लेकिन यह अच्छी बात होगी। अभी आप देखिये, प्रेस का क्या हाल है। आप लिखिये स्टेट्समैन के खिलाफ यह ऐसा अखबार है, मेरी बात तो चुरा लेगा लेकिन साहस नहीं होता कहने का, मेरा नाम छापने का उनको साहस नहीं होता। अगर इंसान हो तो इंसानियत की सीमा से नीचे मत जाओ। वह कह देते हैं जनता मेम्बर है । और अखबार देते है लेकिन स्टेट्समैन वाले नहीं देते, वह कहते हैं जनता मेम्बर है। मैं कालिंग अटेंशन का मूवर हूं, लेकिन जनता मेम्बर हूं । उसमें 4--5 पार्टिसिपेंट्स के नाम उड़ा देना, वह जर्नलिज्म नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : रेडियो में बराबर आपका नाम आता है कि नहीं ?

श्री शिव चन्द्र झा : रेडियो पर मैं बाद में आऊंगा । रेडियो भी प्रेस की परिभाषा में आता है । उस पक्ष मैं बाद में आऊंगा कि प्रेस का मतलब होता है रेडियो भी । यह आपकी इंटरनेशनल : डेफनिशन है । . . .

श्री वसन्त साठे : आपका नाम रेडियो पर बराबर आता है कि नहीं ?

श्री शिव चन्द्र झा : इसलिए मैं कहता हूं कि वह ठीक है लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि आल इंडिया रेडियो आल इंदिरा रेडियो आज ही नहीं है बल्कि जब आडवाणी मिनिस्टर थे उस समय भी था । हम लोग उनसे पूछते रहते थे कि यह आल इंडिया रेडियो है या इंदिरा रेडियो है, आप क्या कर रहे हैं, किस चीज के मंत्री हैं । तो यह वैसी ही बात है जैसे कहावत है--

सौ मन साबुन लगाए,
कोयला होय न उजरो

आडवाणी जी को साबुन लगाते लगाते वहां से हटना पड़ा, लेकिन वह उसको सही नहीं कर सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वे मेरे नाम की बात कहते हैं। मेरा नाम आता है कि नहीं. . . . . (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : आप का नाम डेली आता है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मंत्री महोदय खुद सुनते ही नहीं हैं। टु डे इन पार्लियामेंट, संसद समीक्षा सुनते नहीं हैं। लेकिन मैं इनके रेडियो के आदमी को पंच मानता हूं, मैं रेफरी मानता हूं, ये भी बोलें, मैं भी बोलूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कभी सुनते नहीं हैं। जो ये कहते हैं, मैं कल ही की बात बताऊं कि टु डे इन पार्लियामेंट, संसद समाचार में जो कल घटना हुई नौजवानों को लेकर, मैंने कहा था कि उसकी सेन्टेंस को कम करो। 6 दिन की सजा दी गयी। मैंने कहा कि वे नौजवान हैं। वैसे यह गलत बात है लेकिन उन की सेंटेंस कम होनी चाहिये। अंग्रेजी वालों ने पकड़ लिया, टु डे इन पार्लियामेंट वालों ने कहा। प्रणव जी ने उस का जवाब दिया लेकिन हिन्दी वालों की बात समझ में नहीं आयी। मैं हिन्दी में बोल रहा था। अंग्रेजी वालों ने थोड़ा दे दिया।

"He was supported by Dr. Mahavir."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Please tell me, how do you listen to Hindi and English broadcasts both at the same time?

(Interruptions)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: It was a million dollar question. जिस को अमरीका में कहा जाता है यह मिलियन डालर क्वेश्चन है। मैं उस का जवाब देता हूं इस लिए कि आप ने पूछा है। एक कान से मैं हिन्दी वाला सुनता हूं और दूसरे कान से छोटा रेडियो रखा हुआ है उस में टु डे इन पार्लियामेंट सुनता हूं। मेरे लिए संसद् की कार्यवाही उस वक्त ही नहीं खत्म होती है कि जब यहां सदन एडजर्न होता है। मेरे लिए संसद् की कार्यवाही खत्म होती है टु डे इन पार्लियामेंट सुन कर, साढ़े नौ बजे। तब मैं निश्चिन्त होता हूं कि अब पार्लियामेंट की कार्यवाही खत्म हुई है और अब दूसरा कोई काम करना चाहिये। तो आप का यह सवाल कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): On your behalf we request the Minister that there may be a 'Jha time'. At that time only, whatever Mr. Jha has stated should be told. There will be no problem then. *(Interruptions)*

श्री शिव चन्द्र झा : लेकिन यह बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी लिए मैं कहता हूं। इसी सदन में मैंने सवाल किया था, इसी रेडियो की बात पर कि मेरा नाम केवल एस सी झा क्यों देते हैं। पूरा नाम क्यों नहीं देते। उन्होंने कह दिया कि पूरा नाम दिया जायेगा। लेकिन अंग्रेजी वाले उसी तरह से देते रहे तो उन की कुछ लगेगी नहीं। वही पारिपाटी पुरानी है। तो रेडियो की गाइडलाइन्स अच्छी हों तो वह कुछ अच्छा हो सकता है। तो यह प्लैन्ड प्रेस की बात जो है उसको सरकार ठीक कर ले। And Planned Press shall be financed by the Central Government. जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसी तरह से यह प्लैन्ड प्रेस सरकार द्वारा चलेगा और इस को कंसीडर किया जये।

अब प्लैन्ड प्रेस में छपेगा क्या।

[श्री शिव चन्द्र झा]

"The Planned Press shall—

(a) concentrate on the plans and projects of the Central Government, State Governments and the Administrations of the Union territories;

(b) present the national and international news in a non-partisan way;

(c) allot more space for the letters to the Editor's column, articles and book reviews by the public in general."

मैंने कहा कि अभी यदि आप या हम, कोई साधारण आदमी कोई लेख लिखे और उसे किसी अखबार वाले को भेजे और अगर वह लेख उसकी पालिसी से नहीं मिलता तो वह अखबार उस लेख को छापेगा ही नहीं। लेकिन यह बात प्लैन्ड प्रेस में नहीं होगी। चीज अच्छी हो तो उस के लिये प्लैन्ड प्रेस का फाटक खुला रहेगा। अभी तक जो अखबार चलते हैं वे तीन चौथाई एडवर्टीइजमेंट्स पर ही चलते हैं। प्रेस एक मनीमेकिंग इंटरप्राइज हो गया है। Pumping money out of the Press as is done by any other.. उनका प्रेस शासन से मतलब ही नहीं है। दूसरों से मतलब है। तो उसमें छपने वाले आब्जेक्टिव आम जनता के लेख हों। जो लिखक हों वे नौजवान हों, उनमें इनोशियेटिव हो। आज अखबारों में उनको मौका नहीं मिलता है। उनके आर्टिकिल वापस कर दिये जाते हैं "अनएबिल टु पब्लिश" लिख कर। यह प्लैन्ड प्रेस उन लोगों के लिये खोल दिया जायगा। जो पार्टी के लिये कमिटेड नहीं हैं, जो सरकारी आदमी नहीं हैं उनके लिये और आम जनता के लिये इस प्रेस का फाटक खुल जायगा और उस का काम होगा सोशल बेटरमेंट। अभी हिन्दुस्तान में भी प्रेस सेंशनलिज्म है। हिन्दुस्तान में न्यूज की परिभाषा क्या है। न्यूज की परिभाषा है 'डाग बाइट्स ए मैन' तो यह न्यूज नहीं है और 'मैन बाइट्स ए डाग' तो यह न्यूज है। आप हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा आपको लग रहा है या खराब लग रहा है। आप बैठे हैं और सुन रहे हैं। अभी मैं हल्ला करूं सदन में शोर करूं तो पेपर में आ जाएगा। अभी दोनों में झपट हो जाए तो अखबारों में बड़ा-बड़ा निकल आएगा कि उन्होंने चेयर को ऐसा झपट लिया। आपने जो कुछ कहा वह भी अखबार में आ जाएगा। यह परिभाषा है। मैं न्यूज की परिभाषा समझा रहा हूं मैं झपटा नहीं दे रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AEVIND GANESH KULKARNI): In your desire to get it printed, don't pull me down.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं परिभाषा सुना रहा हूं। न्यूज जो है 'एन० ई० डब्ल्यू० एस०' इसका मतलब है 'एन० फार नार्थ, 'ई०' फार ईस्ट, 'डब्ल्यू' फार वेस्ट और 'एस' फार साउथ। यानी चारो तरफ से न्यूज आनी चाहिये। जो न्यूज हो उसमें नवीनता आनी चाहिये। लेकिन यहां तो सेंशनलिज्म है। अमेरिका की जो प्रेस भी वहां एन्टरप्राइस बढ़ता चला गया। सेंशनलिज्म की खोज होने लगी। न्यूयार्क टाइम्स और न्यूयार्क हैरालड में सेंशनलिज्म कैसे लाया जाए इसके लिये इन्होंने कोर्ट में जाकर देखे डाइवार्स के केस, तलाक के केस, क्राइम्स के केस। इनका उन्होंने वहां जाकर पता लगाया। इनके रिपोर्टर वहां गये। जब यह इनके पेपर में छपने लगा तो इनका सरकुलेशन बढ़ गया। इसकी खोज होने लगी। विलियम रेन्ड जो चेन प्रेस का मालिक है, सेन फ्रांसिस्को और लांस एंजेलस में भी बहुत से अखबार हैं, उनकी अलग कहानी है। यही चीज यहां भी है,। सेंशनलिज्म की बदौलत सरकुलेशन

बढ़ जाता है और सरकुलेशन की बदौलत एडवरटाईजमेंट्स आते हैं। जिसका ज्यादा सरकुलेशन होगा, जिसको ज्यादा पढ़ेंगे; देखेंगे उसमें बिजनैसमैन एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा देंगे। ज्यादा पैसा सरकुलेशन से आता है और पैसा ज्यादा आने से अच्छी तरह से एस्टाबलिस्ड होगा। इसमें मजबूती आएगी। दोनों इन्टररिलेटिड है। आप किसी भी अखबार को देख लें कि उसका 3/4 हिस्सा एडवर्टीजमेंट से भरा होता है। मुश्किल से 1/4 भाग आपको न्यूज मिलती है। मैं जनरलिज्म का विद्यार्थी रहा हूं। जो मैं पढ़ रहा हूं यह कोई नई चीज नहीं है। इस पर मेरी एक किताब है 'कांसेप्ट आफ प्लांड फ्री प्रेस'। यह किताब मैंने 29 वर्ष पहले लिखी थी। यह 1953 की है। जब मैं यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया बर्कले में था तब लिखी थी। मैंने डिपार्टमेंट आफ जनरलिज्म में एम० जे० किया था। यह मेरा रिसर्च पेपर था उसके पांच साल पहले का। उस वक्त चलपतराव एडीटर थे। लखनऊ के नेशनल हैराल्ड में। मैंने इसमें तफसील से लिखा है कि फ्रीडम आफ द प्रेस कैसे होनी चाहिये। जब क्लास में मैंने यह सवाल उठाया तो हमारे प्रोफेसर मि० जौस्की थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्लैन्ड प्रेस की बात कहना आश्चर्य की बात है। हमारे देश में जैसे प्लानिंग कमीशन है, उसी तरह के प्लान्ड प्रेस की बात अमेरिका में नहीं हो सकती थी। वहां पर, अमेरिका में, प्रेस के प्लानिंग की बात एक अंजेमा थी, एक बहुत बड़ी खतरनाक बात थी। प्रेस को प्लान करने का क्या मतलब है?

My professor said, "Press will be controlled? Then, how can there be freedom of the press?" I said, 'Don't worry, there will be freedom.' He said, 'how there will be room for such criticism of the Government and the ruling party?' I said, 'Party Press are not controlled so that they can compete with other newspapers. Boost them up by giving help.' Then he recalled that in 1850s, they used to have party press. Different parties used to have party press. If this can be boosted up, in this way, the criticism can be made of the ruling party and the Government. And the common press is meant for the common people.

इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हो।

इसी तरह से ब्रिटिश कंसेप्ट आफ फ्रीडम आफ प्रेस की बात भी आती है। इस बारे में एक क्यूडर थ्योरी है जिसमें क्राउन से पूछ कर कोई चीज छापी जा सकती है। क्राउन से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी परमिशन के बगैर छापा नहीं जा सकता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) पीठासीन हुए]

लेकिन इंगलैण्ड की फ्रीडम आफ प्रेस की लड़ाई चलती रही। बाद में एक दूसरी थ्योरी ब्लैकस्टन मैन्सफील्ड थ्योरी सामने आई। इसमें कहा गया कि हर चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेडीशन की बात आती हो तब नहीं छाप सकते हो। राजद्रोह की अगर कोई बात हो तो उसको नहीं छापा जा सकता है। अन्य बातों पर कोई रोक नहीं थी। इस तरह से फ्रीडम आफ प्रेस का जो कंसेप्ट था वह धीरे धीरे हायर होते चला गया। बाद में प्रेस के लिये नेचुरल राइट्स की बात भी आई। जिस प्रकार फ्रीडम आफ स्पीच, एक नेचुरल राइट्स माना जाता है, उसी प्रकार से फ्रीडम आफ प्रेस को नेचुरल राईट्स में माना जाये। जिस प्रकार से फ्रीडम की मूवमेंट के लिये लड़ाई चलती रही उसी प्रकार से फ्रीडम आफ प्रेस के लिये भी लड़ाई चलती रही। धीरे-धीरे

[श्री शिव चन्द्र झा]

करके ये सब रोके हटा दी गई। लेकिन इंगलेंड में धीरे-धीरे प्रेस एक प्रकार से मोनोपोली प्रेस हो गया। बाद में लार्ड एटली ने इसके लिए एक फ्रीडम आफ प्रेस कमीशन बैठाया। उसने कहा कि प्रेस पर कंट्रोल नहीं होगा। अमेरिका में भी फ्रीडम आफ प्रेस का कंसेप्ट चलता रहा। आप जानते है कि अमेरिका में आजादी का रिवोल्यूशन सन् 1776 में हुआ था। जहां एक ओर वहां पर आजादी की लड़ाई चल रही थी, वहां दूसरी ओर फ्रीडम आफ प्रेस की लड़ाई भी चल रही थी। वहां पर एक जोन पीटर साहब थे। उन्होंने सन् 1745 में फ्रीडम आफ प्रेस की लड़ाई शुरु की ओर बाद में उनकी लड़ाई से अमेरिका की आजादी में मदद मिली।

इसके बाद कांस्टियूशन गारन्टी की बात भी आई। आप जानते है कि बहुत से लोगों ने फ्रीडम आफ प्रेस को फण्डामेंटल राइट्स में लाने की बात भी कही है हमारे संविधान में फ्रीडम आफ प्रेस फण्डामेंटल राइट्स में नहीं आता है। जिस प्रकार से फ्रीडम आफ स्पीच है, उस प्रकार से फ्रीडम आफ प्रेस फण्डामेंटल राइट्स में नहीं रखा गया है। यदि हकीकत में प्रेस को आजाद करना है तो फण्डामेंटल राइट्स में प्रेस शब्द का भी सवाल आ जाता है। प्रेस के नाम का शब्द फन्डामेंटल राइट्स में नहीं है। फ्रीडम आफ प्रेस सेंवथ शैड्यूल आफ कांस्टिट्यूशन में नहीं है। फ्रीडम आफ स्पीच है, फ्रीडम आप प्रेस उस पर बेस्ड है। अमेरिका में फ्रीडम आफ प्रेस एज सच है। यह दूसरी चीज है कि कन्सन्ट्रेशन प्रोसेज वहां भी बढ़ा और कोर्ट का डिसीजन आया। कोर्ट का डिसीजन था और इससे फ्रीडम आफ प्रेस आ सकता है, वहां सब कुछ आ सकता है। लेकिन जस्टिस होम्स, एक बहुत बड़े जस्टिस थे अमेरिका में उनकी छाप है, अमेरिका फ्रीडम आफ प्रेस पर, अमेरिका प्रेस स्वातंत्र्य पर। जस्टिस् होम्स का क्लेयरेन्स एंड प्रजेन्ट डैन्जर, जो था इस फैसले में जाने की जरूरत है। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पम्पलेट लिखे गये जिसमें कहा गया था, फस्ट वर्ल्ड वार इम्पीरियलिस्ट वार के वक्त में कि सेना में भर्ती न हो, यह इम्पीरियलिस्ट है और उसमें नौजवानों को भर्ती होने से रोका गया। फ्रीडम आफ प्रेस एंड फ्री रेस्पांसविलेटी आफ प्रेस इसकी जांच के लिये हांकिग कमीशन 1950 में बिठाया गया। इस तरह की बात आ जाती है। फ्रीडम आफ प्रेस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रम एंड फ्रीडम फार...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : आप अब समाप्त कीजिये, औरों को भी चांस देना है।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं दे रहा हूं, समाप्त करता हूं। यह प्लान्ड प्रेस मैंने बताया। अब पार्टी प्रेस के बारे में मेरे दिल में जो है, जो पार्टी प्रेस के बारे में मैंने कहा है वह यह है :

The Central Government shall grant annual subsidy to each recognised political party for running the Party Press. A subsidy of Rs. 5 lakhs per year shall be given to each political party recognised by the Central Government and a subsidy of Rupees one lakh per year to each political party recognised by a State Government.

5 लाख केन्द्र के तौर पर जो पार्टी है, जो पार्टी मान्य है, रेकोग्नाइज्ड है और 1 लाख रुपया जो स्टेट लेवल पर मान्य है, रेकोग्नाइज्ड है। यह आइटम कम हो सकता है, यह सब सेकेन्डरी बातें है।

इसको बढ़ाकर 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कर सकते हैं। पार्टी प्रेस को चलाने के लिये सेंट्रल बजट से पैसा मिले ताकि पार्टी प्रेस ऊपर जाय और अब चूंकि पार्टी प्रेस होगा तो सरकार होगी, विरोधी पार्टियां होंगी और वह सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे।

The subsidy shall be utilised by the Party Press solely for the purpose of running the Press.

अब पैसा जो दिया जायेगा प्रेस चलाने के लिये

The Party Press shall be run entirely at the discretion of the concerned political party and it shall be free to be guided by the ideologies and the programmes of the Party.

जिसको जो पार्टी है उसका उस हिसाब से होगा। एक न्यूज ऐजेंसी

There shall be constituted a News Services called the Planed Press News Service under the Press Board for the dissemination of national and international news.

एक न्यूज ऐजेंसी भी होगी। तब इसके बाद इसके रूल्स बनेंगे। ये बातें मेरे दिल में हैं पर ये सेकेन्डरी बातें हैं। प्लान्ड प्रेस और पार्टी प्रेस जों होगा इससे हकीकत में फ्रीडम आफ प्रेस की स्थापना होगी और जनतंत्र में भी मजबूती आयेंगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर यह रूप जो होगा वह यह होगा कि हमारी एकानामी क्या है? प्रेस इज ए रेफ्लेक्शन आफ एकानामी। हारेल लास्की ने कहा है कि जिस देश की जिस तरह की एकानामी होगी उसी तरह से प्रेस का रेफ्लेक्शन होगा। हमारे प्रेस का जो रेफ्लेक्शन है वह उसी तरह से होगा जिस तरह की हमारी एकानामी होगी। हमारी एकानामी में क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। थोड़ी देर के लिये आप कह सकते हैं कि प्रेस भी उसी रूप में है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, जिसको मिक्स्ड एकोनामी कहते हैं। प्लान्ड प्रेस चलेगा और पार्टी प्रेस भी होगा, दोनों होंगे। सर्कुलेशन नीचे रहें, बढ़े इसकी छूट रहेगी प्रेस चलाने के लिये, इंडीविजुअल छूट भी रहेगी। दोनों बातें होंगी, जिस तरह से मुल्क की एकानामी है..... उस तरह से प्लांड प्रेस और पार्टी प्रेस है। वह रिफ्लेक्शन होगा जिस तरह से इकोनामी को आप आगे बढ़ायेंगे सोशल आनरशिप जो यह नौजवान नही चाहेगा चलने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वहां तो दूसरा काम वे करना चाहते हैं, करते हैं। इस तरह से सोशल आनरशिप बढ़ेगा, प्रेस पर भी सोशल आनरशिप होगा। वह समय थोड़ी देर के लिए दूर भी हो सकता है जब पूरा कब्जा होगा सरकार के प्रेस लेने के लिए इस पर जाने की जरुरत अभी नहीं है, प्लांड प्रेस और पार्टी प्रेस इस रूप में हकीकत में फ्रीडम आफ दी प्रेस पर मैंने पहले भी कहा अब फिर दोहराता हूं कि जनतंत्र में प्रेस को मजबूत करने के लिए सरकारी जो पंजा है, कंट्रोल है उससे आजाद करना होगा और मोनोपली आनरशिप है, जो कब्जा है कंट्रोल है उससे भी फ्री करना होगा। इसके लिए आपको प्लांड करना होगा लेकिन जनतंत्र में क्रिटिसिजम होने की भी गुंजाइश है। यदि आप गुलाब पसंद करते हैं तो कांटों को भी बर्दाश्त करना होगा बगैर कांटे के गुलाब नहीं हो सकता। जनतंत्र बगैर विरोधियों के नहीं, बिना विरोध के नहीं होगा। देख लीजिए। पाकिस्तान जेनेवा में क्या-क्या बोला था। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, वह क्या। जाने जनतंत्र चुनाव किस चीज को कहते हैं हमने इसे एक्सेप्ट किया है, जनतंत्र में विरोधी होंगे इसके लिए आपको रास्ता निकालना होगा। लेकिन फाइनेंशियली वे लोग फ्री नहीं है उनके पास पैसा नहीं है उनकी प्रेस मजबूत हो सकें तो आप उनको पैसा देंगे, उनके लिए आप पैसा सेंट्रल बजट में प्रोवाइड करें। यह कोई मुश्किल बात

[श्री शिव चन्द्र झा]

नहीं हैं। सारी योजनाएं आप चला रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जैसे मैंने कहा हम विरोधी एम० पी० को यहां सुनते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाने की जरुरत हैं सुबह से ले कर शाम तक प्वाइंट आफ आर्डर करते रहते हैं। इट डज नाट मैटर क्योंकि आप जनतंत्र को पसंद करते हैं उस तरह से यह हकीकत में प्रेस जो होगा वह प्लांड प्रेस और पार्टी प्रेस ही हकीकत में रास्ता बनेगा और इस वक्त मैंने विधेयक में रखा है 10 हजार से उपर में संशोधन देख सकता हूं कि यह एक लाख से ऊपर जो आपके यहां 32 अखबार हैं जो बड़े-बड़े अखबार हैं, यदि आप इजाजत दें मैं पढ़ कर सुनादूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शिव चन्द्र झा : जैसे आनंद बाजार पत्रिका है, नवभारत टाइम्स, टाइम्स आफ इंडिया यह मेरे पास लिस्ट है। यह जितने भी हैं इस सब को सरकार अभी लेलें बाद में एक कमेटी बिठा कर ले लें, प्रेस बोर्ड बना कर चलाबे। इस तरह से जर्नालिस्ट कौन होता है ? Journalist is a modern sophist; he claims to know everything. In fact, he knows nothing. यदि दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक नारद मुनि इसको माना गया है। सवांददाता का अर्थ इधर के संवाद उधर और उधर के इधर। यह उनका धन्धा है। हकीकत में प्रेस गेलेरी को नारद पक्ष यदि कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से यह रूप बदल जाएगा। आज वीर अर्जुन के सम्पादक को शायद बैठने भी यहां नहीं दिया जाता होगा प्रेस गेलेरी में। छोटा सा अखबार है, दो पन्ने का अंग्रेजी अखबार है वीर अर्जुन, यह कोई अखबार है। अखबार तो 10 पन्ने का अंग्रेजी वाला निकलता है, वही अखबार है यह अंग्रेजी में जो घोड़े की टाप सी अंग्रेजी बोलते हैं चलाते हैं यह लोग दखल करते है। यह सब खराबियां जितनी हैं यह इससे खत्म हो जाएगीं। प्रेस कर्मचारियों में जो तफरके हैं, ऊंच नीच है यह सब खत्म हो जाएंगे। जो एडिटोरियल पालिसी है, यह सब डिटेल की बातें हैं इन पर जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तो केवल मेन-लाईन ही ठीक हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इस विधेयक को कबूल कर ले। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री शिव चन्द्र झा का जो प्रेस अमेंडमेंट बिल आया है और उनके लंबे चोड़े भाषण को सुनकर माननीय इन्फारमेशन मिनिस्टर भी चले गये ... (व्यवधान) आ गये और आकर वापस भी चले गये। हम लोग भी सुन सुनकर तंग आ गये वास्तव में। अब झा साहब की अन्य सभी बातों का जवाब मंत्री महोदय देंगे लेकिन मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। झा साहब ने प्रेस को आजादी पर यहां सरकार का कन्ट्रोल बताया है। मैं नही समझता कि प्रेस पर सरकार का किस प्रकार से कन्ट्रोल है। आज प्रत्येक अखबार में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो सभी प्रकार की बातें छपती हैं। अपने अपने साईज के अनुसार, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार, चाहे स्टेट का हो, चाहे लोकल अखबार हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर अखबार हो, उनमें सभी प्रकार की बातें छपती हैं। अभी झा साहब ने बताया था कि रेडियो पर भी सरकार का कन्ट्रोल है और उसी समय आपने यह भी बताया कि मेरा नाम भी बराबर आता रहता है, अब जब सरकार का कन्ट्रोल है तो विरोधी सदस्यों का भी बराबर नाम आता है, सरकार के मंत्रियों का भी आता है, सरकारी पक्ष के मेम्बरों का भी आता है, चाहे प्रधान मंत्री हों, चाहे कोई भी मंत्री हो उसका नाम आता है तो मैं नही समझता कि किस प्रकार से झा साहब या विरोधी पार्टी के लोग इस प्रकार

के आक्षेप सरकार पर लगाते हैं। झा साहब का यहां एक वाक्य मैं हमेशा सुनता हूं। जब आप लोकसभा में थे, मैं भी लोकसभा में था कि आल इंडिया रेडियो इंदिरा रेडियो है, यही शब्द आप लोकसभा में भी कहा करते थे और आज आप कम से कम 15 वर्ष बाद भी दोहरा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि जैसे 15 साल पहले भी वही रेडियो की हालत थी, प्रेस की हालत थी, अखबारों की हालत थी वही आज है। उसमें कुछ तरमीम नहीं हुई है क्या? इसलिए एक प्रकार से सरकार को क्रिटिसाईज करना, यही आपका मुद्दा है, आपका हमेशा से सरकार की आलोचना करना ही बात रही है तो कोई बात नहीं। आज हालात बदल गये हैं चाहे जो कुछ भी आप कहें ... (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा: एक मिनट सुनिये। ये नेता हैं सदन के, इनके सामने मैं कह रहा हूं कि इन्होंने खुद कहा कि अखबार वाले सी० आई०ए० एजेंट हैं, कहिए हमारे सामने कि नहीं कहा ... (**व्यवधान**) कह दे कि नहीं कहा था।

श्री धूलेश्वर मीणा: झा साहब मैं मानता हूं कि यह कहा होगा, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जैसा कि सबेरे प्रणव मुखर्जी साहब ने बताया था कि हर कोई चीज हाऊस के सामने ला करके बतायी जाय, या जनता के सामने लाई जाय, यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कन्ट्रोल रखना पड़ता है। हो सकता है कि सारे अखबार उस बात को पब्लिश कर दें, वह बात प्रेस में चली जाय जो कि एंटी नेशनल हो या देश के खिलाफ हो, तो ऐसी हालत में हर कोई चीज आपको बता दी जाय या प्रेस में आ जाय, यह मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने इमरजेंसी के टाईम का बताया कि इमरजेंसी में प्रेस, न्यूजपेपर्स पर और आल इंडिया रेडियो के ऊपर सभी प्रकार से सरकार का कन्ट्रोल था, मैं पूछूंगा क्या आप उस समय यह नहीं चाहते थे कि हर चीज, देश की कोई भी बात विदेशियों के हाथ न पड़ जाय और इस प्रकार से कोई भी बात गलत हो जाय, वह दुश्मन के हाथ लग जाय। इसी कारण ऐसे हालात के अंदर सरकार को रेडियो पर, प्रेस पर, न्यूजपेपर्स पर ठीक प्रकार का कन्ट्रोल रखना पड़ेगा। मैं इससे आगे बढ़ करके निवेदन करूंगा कि आपने यह बताया कि प्रेस पर कन्ट्रोल खास करके डाक दर या पोस्टल रेट बढ़ाने से बहुत कम हो गया है? मैं निवेदन करूंगा कि हम हर जगह प्रगति कर रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो देश में हर प्रकार का विकास हो रहा है। इस विकास के अंदर आर्थिक विकास हो रहा है और दूसरी चीजों के अंदर विकास हो रहा है लेकिन जब आबादी बढ़ रही है तो उनके ऊपर सभी प्रकार का भार पड़ रहा है। न्यूजपेपर्स के ऊपर भी, पोस्टल रेट बढ़ाने से भार नहीं पड़ता है और इसका नतीजा, इसका प्रतिकूल नहीं है कि जिसमें न्यूजपेपर्स पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल हो। या इसके आधार पर ही कन्ट्रोल किया जा सके।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपना सुझाव दिया है कि देश का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाईजशन हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के करने से हो सकता है कि झा साहब और भी इसके ऊपर, इस सरकार के ऊपर आक्षेप लगायेंगे क्योंकि उसमें जो उन्होंने राय दी है कि यह कन्ट्रोलड या नेशनालाईज्ड प्रेस जो है वह प्लैनिंग कमीशन के अंदर रहेगा और हर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कोई रेप्रेजेन्टेटिव रहेगा। लेकिन इससे मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा संकीर्णता आ जाएगी।

तो इसीलिए इस प्रकार की बात करेंगे, तो बाद में जा करके यही माननीय सदस्य झा साहब इसका विरोध करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से नेशनलाईज करके—मैं समझता हूं कि इससे तो और ज्यादा इसके ऊपर आक्षेप लगेगा।

[श्री धूलेश्वर मीणा]

साथ में आपने यह भी बताया कि जो भी प्रेस—जो थोड़ा बहुत भी आजाद हैं, या जिनको फ्रीडम मिली हुई है, वह सिर्फ सरकार की नुक्ताचीनी करने के लिए रखे गये हैं। सरकार पर नुक्ताचीनी करने के लिए अगर प्रेस रखे गये हैं, तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के कौनसे प्रेस हैं जो सरकार की ही एकदम बढ़ाई करते रहे हों और विरोधी पार्टियों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं।

तो ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो नुक्ताचीनी करने वाले जिन अखबारों का आप जिक्र करते हैं ... (व्यवधान) यह सही बात है ... (व्यवधान)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Just a moment. Sir, I want to draw the attention of the House that we have learnt about the sad demise of Acharya Kripalani. May I request you to ask the Leader of the House as to what we should do because I am told, on a previous occasion when Shri Feroze Gandhi had expired, Rajya Sabha also was adjourned? What should we do? I seek your guidance and also the guidance of the Leader of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We have also come to know about this news, but as you know, the House has its own procedure and precedents. The Leader of the House has called the meeting of the opposition leaders. They are being consulted about the matter. In fact, I will request you, Mr. Kulkarni, to join that meeting which is now going on with the Leader of the House.

श्री धूलेश्वर मीणा : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से यह आक्षेप लगायेंगे कि कुछ प्रेस सरकार की नुक्ताचीनी करने के लिए छोड़े गये हैं।

इसलिए मैं झा साहब के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इस प्रकार के जो प्रेस की आजादी और खुले तौर से यह जनता के सामने लाना कि हम ही लोग प्रेस के फ्रीडम के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, यह सही बात नहीं है। सरकार पूरी तौर से, जिस प्रकार से हमारे संविधान में सभी प्रकार के फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन, इस प्रकार के जो फ्रीडम होते हैं, उसी में प्रेस का फ्रीडम भी दिया हुआ है।

इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पर प्रेस न करें और इस बात को मैं जरूर मानूंगा कि डिसकशन के पर्पज के लिए जो कुछ आप लाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप प्रेस न करें।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill brought forward by Mr. Jha is very important and I welcome it though I cannot accept some of the provisions of this Bill. One of the important questions which are facing our country is about freedom of the press. It has been considered for a long time that the capitalists are controlling the press, called 'jute press'. Though there is a provision under article 19 of the Constitution for freedom of speech and expression, there is no specific right to information as is given in some other countries. In some countries as in our country freedom of the press, *i.e.* right to information, is not made a fundamental right in the constitution. Therefore, by an Act of Parliament, or by legislation, this can be controlled.

4 P.M.

Government is trying to control the press by indirect ways—such as giving a large number of advertisements, increasing postal rates, having a policy of levy on newsprint and also making the financial position of the newspaper such that they have to

depend on Government subsidy directly or indirectly. The result is that to some degree—except where the press is self-reliant or it is a big press—the newspapers depend mainly on the financial help and patronage of the Government. Therefore, Sir, it is very important that if you want freedom of the press to be assured, the press must also have independence. And independence can come only if they are financially independent and their management is in the hands of professional journalists and the industry is run on the basis of "workers' participation". Then alone we can think of having freedom of the press.

What is the true position in this regard in the newspaper industry? I would only to refer to Press in India, Twenty-fourth Report, published by the Registrar of Newspapers for India. It says that there is no doubt that newspapers are on the increase every year. It has been stated by the Press Registrar that in 1978, their number was 15,814. This is the report of 1980. And the number of newspapers in one year went up to 17,168 *i.e.* an increase of 8.6 per cent. The total circulation of copies of newspapers rose from 40,850 thousand to 46,449 thousand per year—*i.e.* a growth of 13.7 per cent in circulation. In 1980, for the first time, the Hindi dailies outmatched the English dailies and Uttar Pradesh became the largest publisher of newspapers by overtaking Maharashtra.

There is a chapter on ownership in this report. On page 76 of this report, it has been stated that out of 17,000 as many as 11,072 newspapers belong to 'individuals'. Next come the Societies and Associations with 3,035 newspapers; Firms and Partnerships own 871 and Joint Stock Companies 696. There are also Government publications and their number is 559, like, as Mr. Jha said, 'Yojana' and others.

It will be found, Sir, that out of 17,168 newspapers, 64.5 per cent of them are controlled by individuals, 5.1 per cent by Societies and four per cent by Joint Stock Companies. Thus you will find that nearly 75 per cent of the newspapers are owned by either proprietory concerns or controlled by Joint Stock Companies. Even in language papers, same is the story. Language-wise, 80 per cent of the Hindi newspapers belong to individuals. In the case of English newspapers, 38 per cent belong to individuals and 29 per cent to Associations. Language newspapers owned by individuals are like this: Assamese 41 per cent, Bengali 67 per cent, Gujarati more than 50 per cent, Kannada 78 per cent, Malayalam 69 per cent, Marathi 65 per cent, Oriya 70 per cent, Punjabi 76 per cent, Sindhi 85 per cent, Tamil 69.4 per cent, Telugu 69.2 per cent and Urdu 82 per cent. Thus it will be seen from the structure of the newspapers which has been given that the newspapers are practically in the hands of individuals, whether it is English newspapers or language newspapers. Even for the daily newspapers the statistics are given. Among the dailies, 715 out of 1,087 are owned by individuals. The number of daily newspapers belonging to other firms of newspapers is less than 100. Seventy-one out of 86 weekly newspapers are also owned by individuals. If you see the largest circulated papers in India like *Blitz* and *Current*, they are also owned by individuals. Therefore, the important question is, what should be the pattern of ownership in our country?

Samachar was experimented with and Government took over all the news agencies and wanted Government finance agencies to finance them. This was later on decentralised and returned back to private companies, made free from Government control. Therefore, when we have not achieved a socialistic structure of society, it will not be proper to give the entire press into the hands of the Government. It will be more of a Government press and people will not be

[Shri Shridar Wasudeo Dhabe]

able to get free and independent news. Clause 6 of this Bill says:

> "The Planned Press shall be financed by the Central Government."

So, the entire financing will be done by the Central Government. And who will be the members of the Press Board? Clause 4(2) of the Bill says:

> "The Press Board shall consist of as many members as there are State and Union territories in the country, one member representing each State or Union territory to be nominated by the Government of the respective State or Union territory from amongst reputed economists and journalists."

But they are to be nominated by the Central Government. If nomination takes place of these persons, well, we know what happens when nominations are made in this matter.

Then, Sir, there is a provision here—clause 7—which says:

> "The Planned Press shall—
>
> (a) concentrate on the plans and projects of the Central Government, State Governments and the Administrations of the Union territories;
>
> (b) present the national and international news in a non-partisan way;..."

We know what is happening in All India Radio and Doordarshan where the Government is controlling and financing and we know that if the Government controls and finances the press, the same thing will be extended to the press also. Therefore, a suggestion was made at that time and today also that there may be an Act of Parliament whereby a corporation may be created where the press shall be financed by the corporation and Government will have some nominees on it. In the present form, Sir, it will not serve the purpose for which my hon. friend has brought forth this Bill.

The second provision in this is about the party press. Press has to be run either by the Government or by political parties and nobody else, according to this Bill, will, therefore, be able to run a press. I think under article 19, when we talk of democracy, individual freedom and press freedom every individual or Society has a right to publish newspapers or periodicals and present a point of view. In fact, it is the essence of democratic way of life that we give freedom to everybody to express his opinion and not restrain it. Party press means a press run by a political party, and that also has to be financed by the Central Government. I do not find in the Bill any provision that apart from the party press and the planned press there can exist some other press if some people of the country or a Society or a charitable Institution want to run a press. Under the circumstances, Sir, I think that if we make suitable amendments bringing the idea of corporation, it will be more useful than having a State controlled press, as contemplated by this Bill. He brought the Bill in 1978 and after four years in the changed circumstances he may think of making some changes in the Bill.

The last question which he has raised is very important from the point of view of the Indian democracy. Sir, vigilance is the price of liberty and when we say that we want freedom of the press, press has to do a very great and important work in preserving the democratic institutions. I must say that but for the newspaper reports of eminent journalists like Arun Shourie when he gave the story of Antulay, nothing could have been done in Parliament. It is the press which has done great service in helping the democratic institutions and even in preserving the independence of those institutions and the Judiciary. Under these circumstances, what solution should be

there without curbing the rights of the press, is a very important question, a national question, which we are facing. In my opinion, the solution is that there could be workers' participation in management of a newspaper and it could be left to the professionals.

Under the circumstances, though I welcome the Bill, I cannot wholeheartedly support it, except for some portions, because I feel that if this Bill is accepted in toto, the Government control on the press will be greater than what it is today.

Thank you.

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, शिवचन्द्र झा जी द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हुं। प्रेस की हर तरह से आज़ादी हैं, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। प्रेस की आज़ादी फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है। प्रेस जो कुछ छापना चाहे छाप रही है। समाजवाद के हित मे, समाज के नव निर्माण मे जो नयी दिशा दी जा रही है प्रेस की ओर से उस का सभी समर्थन करते है। जहां तक प्रेस की आज़ादी का प्रश्न है, उस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी भी प्रेस है . . .

REFERENCE TO THE PASSING AWAY OF ACHARYA B. KRIPALANI

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Sir, with your permission, I want to inform the House with a heavy heart that we have just now received the news of sad demise of Acharya Kripalani, as per the Agency report, today around 2 O'clock in Civic Hospital in the city of Ahmedabad. Kripalaniji has expired. It is no use mentioning the contribution of this great national leader in the freedom struggle and in awakening the spirit of nationalism in the mind of the youth of this country. Through you, Sir, I would like to appeal to the Members of the House—if they agree—that we adjourn the House for the rest of the day.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, I would like to associate myself, and my party, with the feelings expressed by the Leader of the House. The generation which brought freedom to the country, one by one, are leaving us. Kripalaniji was one of those stalwarts of the freedom struggle and he has now left us. I, on behalf of myself and on behalf of my party, offer sincere condolences and associate myself with the feelings expressed by the Leader of the House.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, हम लोग सब दुखी है कृपालानी जी के निधन का समाचार सुन कर। वे हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सेनानी थे और बुजुर्ग गांधीवादी थे। आज देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो कमी हुई है उस की पूर्ति होगी या नहीं यह कहना मुश्किल है। हम सभी इस से दुखी हैं और मैं भी सहमत हुं कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आचार्य जी के जाने से उस पीढ़ी का एक और महान व्यक्तित्व देश से रवाना हो गया जिस पीढ़ी ने देश को स्वाधीनता दिलायी और देश को गौरव से मंडित किया। सत्ता आने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रहे कि जिन को सत्ता की लालसा छू नही पायी और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सब प्रश्नों के ऊपर निर्भीक, निष्पक्ष और साहसपूर्ण वाणी से बोलते रहे। आचार्य जी देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिये प्रेरणा का श्रो त